जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 81/2015 अनवानी देवीलाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

81/2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.02.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल उपस्थित है। राजकीय अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर का कथन है कि उपतहसीलदार बींझवायला के न्यायालय में एक विविध प्रकरण सं0 23/2015 सरकार बनाम देवीलाल जेरकार है उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बार बार अपना पक्ष रखने पर भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2015 को भी प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर रवि 2071 की फसल को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये। जिसकी अपील भी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष करने पर प्रकरण को पुनः प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। उनका आगे कथन है कि उनके द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना कर प्रार्थी की फसल को पुनः कुर्क कर कृषि भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया है जबकि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए। प्रकरण में विवादित भूमि की खातेदारी बाबत वादपत्र भी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष भी विचाराधीन है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसे रकबा से बेदखल करने के आदेश दिये गये है जिस कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नही है। अतः उक्त प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार ही प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। केवल मात्र प्रकरण में विलम्ब की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपतहसीलदार बींझवायला ने एक प्रिन्टड प्रपत्र में प्रार्थी को 10.09.2015 के लिए एक कारण बताओ नोटिस सुनवाई के लिए जारी किया है और किसी प्रकार का कोई आदेश जारी किया जाना प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रार्थी का यह कहना कि उसे बिना सुने ही उनके द्वारा उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश जारी कर दिया है जो सही प्रतीत नही होता है। इसलिए उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

422
21/02/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपतहसीलदार, बींझवायला को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर